प्राप्त 6/4/15

(4)

# कार्यालय नगर पालिका परिषद, देवरिया।

पत्रांक 09 /प्र0अनु0–14–15/देवरिया दिनांक : 1/4/15

## अति अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद देवरिया के वर्ष 2014–15 के पंजीकृत/नवीनीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद देवरिया के अति आवश्यक सेवा से सम्बन्धित कार्यो के संचालन हेतु पथ प्रकाश, जलकल, लेखा, अधिष्ठान, लाईसेन्स, इन्दिरा गॉधी, मान्टेसरी, कर, निर्माण, वाचनालय आदि अनुभागों में, वर्ष वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु (कुशल श्रमिक व अकुशल श्रमिक) श्रमिको की आपूर्ति के लिए प्रतिदिन, प्रति श्रमिक के दर हेतु निविदा दिनांक 08.04.2015 को 02.00 बजें तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र पालिका में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी, जो उसी दिन उपस्थित निविदाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी की उपरिथति में अपरान्ह् 4.00 बजें खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र की विक्री दिनांक 07.04.2015 को प्रातः 10 बजें से 2.00 बजें बिक्री की जायेगी, जो निर्धारित शुल्क जमा कर, जलकल अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है। निविदा के साथ जमानत धनराशि मु0 1,00,000=00 रू0 का एफ.डी.आर./एन.एस.सी. अथवा फार्म–5 के माध्यम से नगद, जो अधिशासी अधिकारी के पद नाम बन्धक हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर, जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। उक्त विज्ञापन को पालिका के वेबसाइड WWW.Municipaldeoria.in पर देखे जा सकते है।

**नियम व शर्तेः–**

1– नगर पालिका परिषद देवरिया के सेवा प्रदाता, को मात्र पारिश्रमिक धनराशि का भुगतान करेंगी।

2– श्रमिको के भविष्य निधि व अन्य देयों के भुगतान हेतु सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगे। कार्यादेश जारी होने के उपरान्त तीन दिवस के अन्दर श्रमिकों की आपूर्ति करनी होगी।

3– सेवा प्रदाता द्वारा आयकर, विक्रीकर, पैनकार्ड एवं श्रम विभाग में पंजीयन से सम्बन्धित प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– सेवा प्रदाता द्वारा समस्त श्रमिकों के भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कार्य निष्पादन के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी के कार्य प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान किया जायेगा। सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक का संचालन नगर पालिका परिषद देवरिया से किया जायेगा तथा आपूर्ति श्रमिक अपनी किसी भी समस्या को सेवा प्रदाता के ही सम्मुख रखेगें तथा समस्या का निस्तारण सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा, न कि पालिका द्वारा।

5– आवश्यकतानुसार समय व श्रमिकों की संख्या सक्षम अधिकारी की अनुमति से घट–बढ़ सकती है तथा निविदा स्वीकृति के पश्चात सफाई अनुभाग द्वारा प्राप्त प्रत्येक श्रमिको का एक रजिस्टर पर नाम पता सहित पूर्ण वायोडाटा प्रवृष्टि दर्ज कर पत्रावली का संचालन सुचारू रूप से करेगा।

6– दर समान होने पर अनुभवी निविदादाता को वरियता प्रदान की जायेगी।

7– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसूची नियम 59 के अन्तर्गत कुशल व अकुशल श्रमिको के आधार पर निविदा डाले जाने है।

8– अवकाश के दिनो का वेतन देय नहीं होगा। ठेका श्रमिक द्वारा हड़ताल, अभद्रता, कार्यालय के आदेश की अवहेलना आदि करने की दशा में तत्काल हटा दिये जायेगे। ऐसा पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दी जायेगी।

9– किसी भी प्रकार का अवकाश पड़ने के फलस्वरूप निविदा अगले कार्यदिवस में डाली व खोली जायेगी। शेष नियम व शर्तो की जानकारी सफाई अनुभाग से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

(राधेश्याम कुशवाहा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिक परिषद,देवरिया।

(अलका सिंह)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद देवरिया।

पत्रांक /प्र0अनु0–14–15/देवरिया दिनांक :

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।?

1– श्रीमान् जिलाधिकारी, देवरिया।

2– श्रीमान् अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, देवरिया।

3– विज्ञापन व्यवस्थापक.................................................................................को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त सूचना को मु0...........................................................................................में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।

4– श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, कम्प्यूटर सेल, को पालिका के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

5– नोटिस बोर्ड, नगर पालिका, कलेक्ट्रेट, तहसील, लो0नि0वि0, विकास भवन देवरिया पर चस्पा हेतु।

(अलका सिंह)
अध्यक्ष